

निदेशक,
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैकटर-5, पंचकूला
2. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, सैकटर-4, पंचकूला
3. निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैकटर-5, पंचकूला
4. महानिदेशक, आई०टी०आई० विभाग, 30 वेज बिल्डिंग, सैकटर-17, चण्डीगढ़
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान विभाग, हरियाणा पर्यटन भवन, सैकटर-2, पंचकूला
6. महानिदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैकटर-5, पंचकूला
7. रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

29649-625
कमांक /अ०स०क०/एस०जे०ई०/२०१६
चण्डीगढ़, दिनांक *२६/०४/१६*

विषय:-

Guidelines for operationization of National Scholarhsip Portal 2.0 (NSP 2.0)
and

Extension of last date for submission of online application under school education level i.e. pre matric for class I to X and post matric for class XI and XII for students belonging to the minority communities for the year 2016-17 – reg.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त नेशनल स्कालरशिप पोरटल एन०एस०पी० 2.0 से सम्बन्धित गाईडलाइन भेजते हुये अनुरोध है कि आप अपने से अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों को निर्देश करें कि गाईडलाइन अनुसार छात्रों से नेशनल स्कालरशिप पोरटल पर रजिस्ट्रेशन करवाये।

इसके अतिरिक्त जो स्कूल/कालेज/शिक्षण संस्थान अभी तक नेशनल स्कालरशिप पोरटल पर रजिस्टर नहीं हुये हैं उन्हे भी रजिस्ट्रेशन शीघ्र करने वारे निर्देश देवे। भारत सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आनलाइन आवेदन करने की तिथि 31.8.2016 से बढ़ाकर के 30.9.2016 कर दी गई है इसकी जानकारी आप अपने से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों को देवे।

आपसे यह भी अनुरोध है कि तीनों स्कीमों कमशः प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट-कम-मिन्स स्कीम का पोस्टर भेजते हुये लिखा जाता है कि स्कीमों का प्रचार/प्रसार करवाये ताकि छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक आवेदन करके छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त किया जा सके।

संलग्न: उपरोक्त

२८४/१६
संयुक्त निदेशक (अ०स०क०)

कृत: निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० कमांक

/अ०स०क०/एस०जे०ई०/२०१६ चण्डीगढ़, दिनांक

इसकी एक —एक प्रति सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों, हरियाणा राज्य में भेजते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि भारत सरकार से प्राप्त गाईडलाइन/दिशा निर्देशों वारे जिला स्तर पर जिला से सम्बन्धित शिक्षा विभागों को जानकारी उपलब्ध करवाये जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सके।

संयुक्त निदेशक (अ०स०क०)

कृत: निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।